न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 03/17 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2017/00018

उनवान

महबूब खॉ पुत्र सिकन्दर खॉ जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 16 मनिहार गली कस्बा राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मदीना बेगम } तथाकथित पुत्रियॉ बरखो पत्नि सिकंदर कौम मुसलमान निवासी हरपाल नगर
2. शायरीन बेगम } खवासपुरा आगरा उ0प्र0।

..... असल रेस्पोडेण्ट

3. शकील खॉ पुत्र खुशीद खॉ जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 16 मनिहार गली कस्बा राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
4. इद्दो खॉ पुत्र सिकन्दर खॉ (मृत दौराने अपील)
   - 4/1. मु0 सितारा वेवा स्व0 श्री इद्दो
   - 4/2. इरफान पुत्र स्व0 श्री इद्दो
   - 4/3. रेसमा पुत्री स्व0 श्री इद्दो
   - 4/4. नजमा पुत्री स्व0 श्री इद्दो
   - 4/5. मीना पुत्री स्व0 श्री इद्दो
   - 4/6. पिंकी पुत्री स्व0 श्री इद्दो

   } जाति मुसलमान नि0 मैन बाजार जगनेर रोड मलपुरा आगरा यू0 पी0

5. श्रीमान् तहसीलदार महोदय राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दि0 21.03.2016 प्र.सं. 36/10 उनवानी मदीना बेगम बनाम महबूब खॉ।

उपस्थित :–

1. श्री किशन सिंह त्यागी वकील अपीलांट।
2. श्री अश्विनी जैन वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–21.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम जरिहा नम्बर 02 तहसील राजाखेडा के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त आधिपत्य स्वामित्व कब्जे में हैं क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में खास भाई बहन हैं और जाति से सुन्नी मुसलमान हैं। अतः प्रकरण में मुस्लिम कानून के प्रावधान लागू होते हैं। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि मु0 बरफो उर्फ बरखो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मॉ है और प्रकरण में स्व0 बरखो के हिस्से का ही विवाद है। मु0 बरखो का देहान्त दिनांक 16.03.2010 को हो चुका है। अतः बरखो की मृत्यु के बाद मुताबिक मुस्लिम कानून वादीगण विवादित आराजी के 1/8–1/8 एवं प्रतिवादीगण 1/4–1/4 के खातेदार काश्तकार हैं। दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी पर आये और कहा हमने बरखो से उनके हिस्से की वसीयत निष्पादित करा ली है और पटवारी हल्का से विवादित आराजी का अपने नाम दाखिल खारिज भी करा लिया है। अतः बरखो की आराजी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। वादी रैस्पो0 ने पटवारी हल्का से नकलात आदि निकलवायी तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने साज कर फर्जी वसीयत के आधार पर मु0 बरखो की आराजी पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। जबकि मुस्लिम विधि अनुसार कोई भी सुन्नी मुसलमान हिस्सा 1/8 से अधिक का निष्पादन नहीं कर सकता। अतः वाद प्रस्तुत कर दावा वादीगण असल रैस्पो0 डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 से आंशिक रूप से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति के आधार पर घोषणा का दावा किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सजरा अनुसार वादीगण असल रैस्पो0 की माता बरखो पत्नि सिकन्दर दो भाई यथा सिकन्दर व रसूला थे। सिकन्दर से नूरा एवं नूरा से खुर्शीद व इद्दो हुये एवं रसूला से बरखो एवं बरखो से शायरा हुयी शायरा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। नूरॉ फौत हो गयी उधर रसूला खत्म हो गया, तो बरखो ने सिकन्दर से निकाह कर लिया। इस प्रकार बरखो सिकन्दर की मूल पत्नि नहीं है। बरखो व सिकन्दर से शायरीन, महबूब खॉं व मदीना तीन संतान हुयी। रसूला का सम्पूर्ण हिस्सा बरखो को मिला एवं बरखो ने सम्पूर्ण हिस्से की महबूब खॉं को रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को निरस्त करते हुये घोषणा का दावा था। अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष से बाहर जाकर दावा डिक्री किया है। जबकि वादी ने जो अनुतोष मॉगा वही दिया जाना चाहिये था। राजस्व न्यायालय को वसीयत जॉच करने का अधिकार हासिल ही नहीं है। बरखो की एक ही वारिस शाहिदा थी। उसने सहमति दे दी। अतः बरखो को सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत करने का अधिकार था। कोई भी न्यायालय चाहे गये अनुतोष से ज्यादा अथवा चाहे गये

भू
राजस्व प्राधिकारी
भरतपुर धौलपुर

के बाहर जाकर दावा डिक्री नहीं कर सकता। दाखिला खारिज निरस्त करने की दावे में कोई प्रार्थना ही नही थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डब्ल्यू एल सी 2006 पेज 283, आरआरटी 2020(2) पेज 750, 2019(1) पेज 184, 2024(1) पेज 25, 2016(2) पेज 1126, 2012(2) पेज 1333, 2006(1) पेज 4 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्था न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। प्रकरण में कौन किसके वारिस हैं, बाबत कोई विवाद नहीं है। दोंनों ही पक्ष सुन्नी मुसलमान हैं। अतः वसीयत मुस्लिम विधि अनुसार कर सकते हैं, चाहे वह पैतृिक सम्पत्ति ही क्यों ना हो। सुन्नी विधि में वसीयत से पूर्व सभी उत्तराधिकारियों की सहमति लेना आवश्यक है। रैस्पो0 ने वसीयत निरस्त करने का दावा प्रस्तुत नहीं किया बल्कि सुन्नी विधि अनुसार 1/8 हिस्से से अधिक वसीयत हुयी है उसे निरस्त कराने का दावा प्रस्तुत किया। दावा में चाहे गये अनुतोष से अधिक यदि वादी और अधिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है तो न्यायालय उसे प्रदान कर सकती है। बरखो ने सिकन्दर से विशेष विवाह अधिनियम से शादी की थी। अतः वह सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत कर सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 2004 पेज 300, 1971 पेज 149, आरबीजे 2000 पेज 16, आरआरडी 2012 पेज 771, 1998 पेज 478, 1996 पेज 161, 2002 पेज 691, 1988 पेज 585, 2012 पेज 815, 1987 पेज 304, डीएनजे 2024 पेज 1783 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में उभयपक्ष की स्वीकारोक्ति है कि दोंनों पक्ष सुन्नी मुसलमान हैं एवं वसीयत मुस्लिम विधि (सुन्नी) में दिये गये प्रावधानो के विपरीत अपने समस्त उत्तराधिकारियो की सहमति के बिना सम्पूर्ण हिस्सा की गयी है। जबकि मुस्लिम विधि (सुन्नी) अनुसार कोई सुन्नी मुस्लिम अपने हिस्से में से 1/8 हिस्से से अधिक की वसीयत की गयी है, जो मुस्लिम विधि में दिये गये प्रावधानो से वर्जित है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 3205 को अपीलाधीन आदेश से निरस्त करने में त्रुटि की है। उक्त अनुतोष ना तो वादी द्वारा अपने दावे में चाहा गया था एवं ना ही न्यायालय वादी को इस प्रकार का अनुतोष देने में सक्षम है। क्योंकि नामांतकरण निरस्त कराने की कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हो सकती है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा का प्रस्तुत किया गया है। जहॉं तक बरखो का सिकन्दर से विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने का प्रश्न है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलबध नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि बरखो ने सिकन्दर से विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उपरोक्त

राजस्व प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

विवेचनानुसार हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 21.03.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को मुस्लिम विधि (सुन्नी) में दिये गये प्रावधानुसार, उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-धौलपुर